मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:22.11.2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन ,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह , पैरोकार- आरक्षी रवि कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी सुनील कृष्ण द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी. मीरजापुर द्वारा थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-206/1994 धारा 354 भादवि में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त श्यामबिहारी पुत्र मालाधारी निवासी रायपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।